

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना
सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०८/२०१९-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-१८०२ दिनांक-१९.०९.२०१९ के क्रमांक -१५ पर अंकित विवरणानुसार "सुश्री पूजा कुमारी, परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी" के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक-२१४ दिनांक-१३.०७.२०२० द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश "सुश्री पूजा कुमारी" के स्थान पर "श्रीमती पूजा कुमारी" अंकित हो गया था जिसे "सुश्री पूजा कुमारी" पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-१८०२ दिनांक-१९.०९.२०१९ द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-१५ पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत "श्रीमती पूजा कुमारी" के स्थान पर "सुश्री पूजा कुमारी" पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०८/२०१९- ५४४ पटना, दिनांक:- १०.०६.२०२१

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री पूजा कुमारी, परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06/21

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

10/06/21